न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 01/2017
दायर दिनांकः 09.01.2017
निर्णय दिनांक 24.11.2025

:: अनवान ::

श्री बालकिशन पिता रूपा जी कुम्हार निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द मृतक के बजाय :–

1/1. श्री भेरूलाल पिता बालकिशन जी प्रजापत निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमन्द

1/2. श्री शम्भुलाल पिता बालकिशन जी प्रजापत निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमन्द

1/3. श्री रतनलाल पिता बालकिशन जी प्रजापत निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमन्द

1/4. श्री प्रकाश पिता बालकिशन जी प्रजापत निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमन्द

1/5. श्री रामी बाई पत्नि बालकिशन जी प्रजापत निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमन्द

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती लीला देवी पुत्री धुलीराम जी ब्राह्मण आयु व्यस्क निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवटंन नियम 1970 प्रकरण संख्या 01/07 आवटंन दिनांक 06.11.2007 लीला देवी बनाम सरकार आवटंन द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द ।

उपस्थितः–

1– श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

2– श्री संपत लाल लढ्डा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 उपस्थित।

3– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 02 उपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियम 1970 विरूद्ध आदेश 01/07 आवंटन दिनांक 06.11.2007 लीला देवी बनान सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्रान बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द की आराजी संख्या 1723/1 की मियारी सरहद के पास की जमीन पर प्रार्थी प्रार्थी का बाप दादाओ के समय से कब्जा होकर बीड बना रखा है, जिसके चारो तरफ प्रार्थी की पत्थर की दिवार बनी हुई हैं उक्त भूमि का उपयोग उपभोग 50–60 वर्षों से हैं जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या एक एवं समस्त ग्रामवासियो को शुरू से रही हैं। दिनांक 23.10.2016 को विपक्षी संख्या एक एवं उमा देवी पत्नि बाबुलाल जी प्रार्थी के पास आई तथा कहने लगी कि इस जमीन में हमे कुछ भूमि हमारे नाम पर एलोट कराई हैं इसलिए कब्जा खाली करो तो प्रार्थी को आश्चर्य हुआ तो प्रार्थी ने खाते की नकले निकलवाई तो उक्त गलत आवटंनी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 27.10.2016 को हुई। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य व उपयोग उपभोग हैं. उक्त आवटंन प्रार्थी से पोशिदा रख कला ताला मिली भगत करते हुए कराया गया है, उक्त भूमि विपक्षी संख्या एक को आवटंन नहीं की जा सकती हैं यह भूमि अन ऑक्यूपाईड भूमि नहीं हैं। उक्त आवटंन के पूर्व आवटंन करने के सम्बन्धि कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई न ही आवटंन हेतु कोई आवेदन मांगे गये सारा कार्य गुपचुप तरिके से किया गया जो कि अवैध होकर कानून्न शुन्य हैं। इस मागले में आवर्तन नियम 7, 8, 9, 10, 11 के प्रावधानो की कोई पालना नहीं की गई, न तो कोई उद्घोषणा की गई न ही कोई प्रार्थना पत्र मांगे गये व प्राप्त किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी जी ने भी इस मामले में कोई इन्क्वायरी नहीं की। विपक्षी संख्या एक उक्त आवटंन प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। उसके ससुराल धोईन्दा में उसके पति से प्राप्त काफी भूमि हैं तथा विरासत से भी पिता से प्राप्त भूमि हैं वह भूमिहिन व्यक्ति नहीं हैं, आवटंन से पूर्व इन तथ्यो की कोई जांच नहीं कर आवटंन किया गया वह जो विधि विरूद्ध होकर अवैध हैं। विपक्षी संख्या एक के परिवार के सदस्य ग्राम पंचायत बामनटुकडा में प्रभावशाली वार्ड पंच एवं उप सरपंच हैं तथा उन्होने अपने प्रभाव का नाजायज लाभ उठाकर गलत रूप से बेनामी तरीके से भूमि हथियाने के लिए उक्त आवटंन मिलीभगत एवं गलत तथ्यो के आधार पर कराया हैं। जो अवैध होकर काबिल खारीज हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी निगराकार का कब्जा आधिपत्य है। यह भूमि आवटंन योग्य नहीं रही केवल मात्र मिलीभगत से कागजो में बाला बाला प्रार्थी से पोशिदा रख जो आवटन किया वह गलत किया हैं इस भूमि का कभी भी कब्जा सिपूर्द विपक्षी संख्या एक को नहीं किया गया तथा आज भी विपक्षी संख्या एक का इस पर कब्जा नहीं हैं, आवटंन शर्तों की कोई पालना नहीं हुई हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की उक्त निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 06.11.2007 को हुए आवटंन को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संपत लाल लढ्डा ने उपस्थिति दी व विपक्षी संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि राजस्व ग्रान बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द की आराजी संख्या 1723/1 की मियारी सरहद के पास की जमीन पर प्रार्थी का बाप दादाओ के समय से कब्जा होकर बीड बना रखा है, जिसके चारो तरफ प्रार्थी की पत्थर की दिवार बनी हुई हैं उक्त भूमि का उपयोग उपभोग 50–60 वर्षों से हैं जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या एक एवं समस्त ग्रामवासियो को शुरू से रही हैं। दिनांक 23.10.2016 को विपक्षी संख्या एक एवं उमा देवी पत्नि बाबुलाल जी प्रार्थी के पास आई तथा कहने लगी कि इस जमीन में हमे कुछ भूमि हमारे नाम पर एलोट कराई हैं इसलिए कब्जा खाली करो तो प्रार्थी को आश्चर्य हुआ तो प्रार्थी ने खाते की नकले निकलवाई तो उक्त गलत आवटंनी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 27.10.2016 को हुई। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य व उपयोग उपभोग हैं, उक्त आवटंन प्रार्थी से पोशिदा रख बाला बाला मिली भगत करते हुए कराया गया है, उक्त भूमि विपक्षी संख्या एक को आवटंन नहीं की जा सकती हैं यह भूमि अन ऑक्यूपाईड भूमि नहीं हैं। उक्त आवटंन के पूर्व आवटंन करने के सम्बन्धि कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई न ही आवटंन हेतु कोई आवेदन मांगे गये। सारा कार्य गुपचुप तरिके से किया गया। जो कि अवैध होकर कानूनन शुन्य हैं। इस मागले में आवंटन नियम 7, 8, 9, 10, 11 के प्रावधानो की कोई पालना नहीं की गई, न तो कोई उद्घोषणा की गई न ही कोई प्रार्थना पत्र मांगे गये व प्राप्त किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी जी ने भी इस मामले में कोई इन्क्वायरी नहीं की। विपक्षी संख्या एक उक्त आवटंन प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। उसके ससुराल धोईन्दा में उसके पति से प्राप्त काफी भूमि हैं तथा विरासत से भी पिता से प्राप्त भूमि हैं वह भूमिहिन व्यक्ति नहीं हैं, आवटंन से पूर्व इन तथ्यो की कोई जांच नहीं कर आवटंन किया गया वह विधि विरूद्ध होकर अवैध हैं। विपक्षी संख्या एक के परिवार के सदस्य ग्राम पंचायत बामन टुकडा में प्रभावशाली वार्ड पंच एवं उप सरपंच हैं तथा उन्होने अपने प्रभाव का नाजायज लाभ उठाकर गलत रूप से बेनामी तरीके से भूमि हथियाने के लिए उक्त आवटंन मिलीभगत एवं गलत तथ्यो के आधार पर कराया हो जो अवैध होकर काबिल खारीज कि हैं। इस भूमि का कभी भी कब्जा सिपूर्द विपक्षी संख्या एक को नहीं किया गया तथा आज भी विपक्षी संख्या एक का इस पर कब्जा नहीं हैं, आवटंन शर्तों की कोई पालना नहीं हुई हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की उक्त निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 06.11.2007 को हुए आवटंन को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बिलानाम भूमि में नियमानुसार व विधिसम्मत पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए आवंटन किया गया है परन्तु प्रार्थी आवंटन के पश्चात से इन्हे परेशान कर रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि विपक्षी सं. 1 को ग्राम बामनटुकड़ा के आ0 नं0 1723/1 रकबा 1.10 भूमि में किये गये आवंटन दिनांक 06.11.2007 को कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत नियामानुसार आवंटित की गई थी एवं आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने विचारणीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवटंन नियम 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 01/07 आवटंन दिनांक 06.11.2007 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया कि जो विवादित भूमि पर प्रार्थी के बाप दादाओ से कब्जा होकर बीड़ बना रखी है प्रार्थी की पत्थर की दीवार बनी रखी है। इसका उपयोग उपभोग कई वर्षो से करता आ रहा है और यही भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटन कर दी गई है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। साथ ही उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि अप्रार्थीया अपने ससुर के पास रहती है तथा उनके पास काफी भूमि है। तथा विरासत से भी पिता से प्राप्त भूमि है वह भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। आवंटन के लिए उद्घोषणा नहीं की गयी। प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी। अतः उक्त आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

उक्त क्रम में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। जिससे यह साबित होता हो कि इस राजकीय भूमि पर प्रार्थी का 50 वर्ष से अधिक का कब्जा हो, उसके द्वारा कोई भी तहसीलदार का नोटिस या लगान जमा कराया गया हो, आदि कोई भी दस्तावेज इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के पास काफी भूमि है इसका कथन मात्र किया गया है। परन्तु उस भूमि के संबंध में कोई भी दस्तावेज यानि जमाबन्दी आदि इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है। तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एक कानून द्वारा जो निर्धारित की गयी प्रक्रिया और आवंटन समिति द्वारा किए गए आवंटन को मात्र कथनो के आधार पर प्रार्थी के द्वारा निरस्त करने की मांग जो प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में की गयी है। वह स्वीकार योग्य नही हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

हमने यहां अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें अप्रार्थीया श्रीमती लीला देवी को जो कृषि भूमि पर आवंटन किया गया है वह एक समिति द्वारा किया गया है जिसमें एक पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक, सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी सभी के हस्ताक्षर है अर्थात् एक पारदर्शी तरीके से और जो एक समिति बनायी गयी है राज्य सरकार द्वारा उसके सभी अधिकारियो, जनप्रतिनिधियों की सहमति से और उनके हस्ताक्षर करने पर अप्रार्थीया को यह कृषि भूमि का आवंटन किया गया है तो यहां पर प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन फलस्वरूप न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी के कथन मात्र के आधार पर किसी कृषक को आज से 18 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि को निरस्त किये जाने का कोई भी आधार उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.11.2007 को यथावत रखा जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को निर्णय की प्रति मय मूल आवंटन पत्रावली लौटायी जावे।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद